टी0ए0 मिस केस सं0 62/2018-19

दिनांक	आदेश
17/05/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री रतना देवगम, पिता– स्व0 जुरिया देवगम,** ग्राम– **पुराना चाईबासा,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **पुराना चाईबासा, थाना न0 – 639,** खाता न0– ~~61~~ 71/1, प्लॉट न0– **902,** रकवा **0.09 एकड़** भूमि केता **श्री उदय सिंह सुंडी, पिता– हरिचरण सुंडी** ग्राम– **बोडोदोर,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। केता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान पर दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **321**, दिनांक **30.04.2019** के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बच्चों की शिक्षा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को केता **श्री उदय सिंह सुंडी, पिता– हरिचरण सुंडी** ग्राम– **तुईबीर**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास **2,25,000/–(दो लाख पचीस हजार) रुपये** में बिकी करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकता एवं केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिकी के पश्चात् आवेदक के पास अवशेष भूमि **2.50** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण – पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में बिकेता **श्री रतना देवगम, पिता– स्व0 जुरिया देवगम,** ग्राम– **पुराना चाईबासा, केता, श्री उदय सिंह सुंडी, पिता– हरिचरण सुंडी** ग्राम– **बोडोदोर,** थाना **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **2,25,000/–(दो लाख पचीस हजार) रुपये** में मौजा– **पुराना चाईबासा, थाना न0 – 639,** खाता न0– ~~61~~ 71, प्लॉट न0– **902,** रकवा **0.09 एकड़** जमीन बिकी करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिकी द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... जाती है। लेखापित 17/5 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 17/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner